

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IV अनुभाग

पद का नाम	श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी श्रेत्र दिल्ली सरकार में सहायक श्रम आयुक्त के पद की एक (01) (ईडब्ल्यूएस) रिक्ति पर भर्ती ।
विज्ञापन सं.	24/2022
रिक्ति सं.	22122404424

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 08.11.2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 18.11.2023 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 12 आवेदकों से अभ्यावेदन एवं अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए 02 उम्मीदवारों से मांगे गए दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है। इनमें से 03 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अन्य की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। परन्तु, कुछ उम्मीदवारों की अस्वीकृत श्रेणी को बदला गया है।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में बदलाव किया गया है। तदनुसार, आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	-
	ईडब्ल्यूएस	अ.यो-क (i) (ii) + अ.यो-ख
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	02, 03 25 एवं 54. (04 उम्मीदवार)

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क (i)	14, 15, 23, 43, 46 एवं 51. (06 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-क (ii)	01, 05, 07, 08, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 44, 50 एवं 53. (21 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-ख	04, 06, 09, 11, 16, 18, 24, 27, 31, 34, 35, 39, 42, 45, 47, 48 एवं 52. (17 उम्मीदवार)
	:अपूर्ण:	
	अपूर्ण- ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के बिना	21. (01 उम्मीदवार)
	अपूर्ण- पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र ओआरए में किए गए दावे से मेल नहीं खाते	12 (01 उम्मीदवार)
	अपूर्ण-वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया।	28. (01 उम्मीदवार)
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	49. (01 उम्मीदवार)	

अथ

अपूर्ण- अनुभव प्रमाण पत्र ओआरए में दावों से मेल नहीं खाता।	40.	(01 उम्मीदवार)
विचारार्थ क्षेत्र में नहीं है।	41.	(01 उम्मीदवार)

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यथा उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) किसी सरकारी प्रतिष्ठान या उद्योग या श्रमिक संघ में श्रमिकों की समस्याओं को हँडल करने संबंधी किसी जिम्मेदार पद पर तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iv) स्वैच्छिक/मानद कार्य पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(v) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है जिसका दावा ऑनलाइन भर्ती आवेदन-पत्र (ओआरए) में किया गया है। ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और इसको एलईक्यू-ख [अनिवार्य योग्यता-ख (अनुभव) श्रेणी में कमी] के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(vi) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु जिन उम्मीदवारों ने किसी अनुबंध का उल्लेख किया हो और उसको प्रस्तुत नहीं किया हो, उनके आवेदनों को 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>(vii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परंतु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>(ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।</p>
-----------------	---

संकेतक:

- एलईक्यू-क(i) - अनिवार्य योग्यता-'क'(i) में कमी
एलईक्यू-क(ii)- अनिवार्य योग्यता-क (ii) में कमी
एलईक्यू-ख- अनिवार्य योग्यता-ख में कमी



(ए.एन.मिश्रा)

उप सचिव (भ.IV)

फोन नंबर: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।